(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि के कम से कम 75% धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस मद में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी तक आहरित धनराशि के कम से कम 75% धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,00,000 ( रुपये छह अरब मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900800 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-90-X-2025-26-दिनांक:12-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

**संख्या-06/2026/001-1113(1)-24-1-2025-18 P -2020, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।